**संख्या- 41/1352/बयालिस-2015-116(विविध)/2012**

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2015**

**विषय- सैफई जनपद इटावा मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 166/नि0सैफई तरणताल पत्रा0/2015-16, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2038/बयालिस-2012-116(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1735/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 06 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या- 2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 871/बयालिस-2015-116(विविध)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में सैफई में स्टेडियमों के निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख में से सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण हेतु रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(5)- शासनादेश संख्या- 2038/बयालिस-2012-116(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1310/बयालिस-2013-116(विविध)/2012, दिनांक 03 जून, 2013, शासनादेश संख्या- 583/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 में उल्लिखित अन्य शर्तें आदि यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202- शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

**<u>संख्या- 41/1352(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>**

**<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>**

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in